**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**11.03.2026 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3093 का उत्तर**

**महाराष्ट्र में नया रेल टर्मिनल**

**3093. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या महाराष्ट्र में कोई नया टर्मिनल स्टेशन बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या परियोजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए रेलवे बोर्ड/डीआरएम स्तर पर कोई विशेष प्रणाली लागू की गई है; और**

**(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (ग): महाराष्ट्र में स्थित रेल नेटवर्क सहित भारतीय रेल पर बड़े पैमाने पर नेटवर्क विस्तार शुरू किया गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:**

| अवधि | परिव्यय |
|---|---|
| 2009-14 | 1,171 करोड़ रु. प्रतिवर्ष |
| 2025-26 | 23,778 करोड़ रु. (20 गुना से अधिक) |

**वर्ष 2009-14 और वर्ष 2014-25 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने संबंधी कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:**

| अवधि | कमीशन किए गए नए रेलपथ | नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग |
|---|---|---|
| 2009-14 | 292 किलोमीटर | 58.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष |
| 2014-25 | 2,292 किलोमीटर | 208.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष (3 गुना से अधिक) |

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, दुरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 89,780 करोड़ रु. की लागत पर कुल 5,098 किलोमीटर लंबाई की 38 परियोजनाओं (11 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 25 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है। इसका सार निम्नानुसार है:-

| कोटि | स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | कुल लंबाई (किलोमीटर में) | मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में) | मार्च, 2025 तक व्यय (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| नई लाइन | 11 | 1,355 | 234 | 10,504 |
| आमान परिवर्तन | 2 | 609 | 334 | 4,286 |
| दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग | 25 | 3,134 | 1,792 | 24,617 |
| कुल | 38 | 5,098 | 2,360 | 39,407 |

महाराष्ट्र में स्टेशनों की यात्री संचालन क्षमता में सुधार के लिए, अतिरिक्त कोचिंग टर्मिनलों की योजना बनाई गई है। विवरण निम्नानुसार हैं:

| क्र. सं. | परियोजना | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | जोगेश्वरी में कोचिंग टर्मिनल | स्वीकृत |
| 2 | वसई रोड में कोचिंग टर्मिनल | स्वीकृत |
| 3 | निर्माणाधीन वडसा-गढ़चिरौली नई लाइन के गढ़चिरौली में टर्मिनल स्टेशन | स्वीकृत |
| 4 | निर्माणाधीन राहुरी-शनि शिंगणापूर नई लाइन के शनि शिंगणापूर में टर्मिनल स्टेशन | स्वीकृत |
| 5 | छत्रपति संभाजी नगर में कोचिंग टर्मिनल | स्वीकृत |
| 6 | परेल में कोचिंग टर्मिनल | डीपीआर तैयार |
| 7 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस में अतिरिक्त कोचिंग टर्मिनल | डीपीआर तैयार |

टर्मिनलों पर रेल माल सम्हलाई की दक्षता में सुधार के लिए, भारतीय रेल ने दो-तरफा दृष्टिकोण अपनाया है: गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति के तहत आधुनिक रेल माल ढुलाई टर्मिनलों के विकास को प्रोत्साहित करना और रेलवे के स्वामित्व वाले माल शेडों में अवसंरचना को बढ़ाना/उन्नत करना। दिनांक 05.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 128 गति शक्ति मल्टी-मोडाल कार्गो टर्मिनल को चालू किया गया हैं और भारतीय रेल में 288 गति शक्ति मल्टी-मोडाल कार्गो टर्मिनल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई है। महाराष्ट्र में 09 गति शक्ति मल्टी-मोडाल कार्गो टर्मिनल (मुकुटबन, पाटस, दिनेगांव, न्यू पंढर पावनी, कलमेश्वर (केएसडब्ल्यूआर), सिंदी (एसएनआई), नरडाणे, मूरसा, न्यू मकरधोकडा) को कमीशन किया गया है और 22 गति शक्ति मल्टी-मोडाल कार्गो टर्मिनल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई है।

महाराष्ट्र में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

| क्र. सं. | परियोजना | लागत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | पुणे-मिराज-लोंडा दोहरीकरण (467 कि.मी.) | 4,670 |
| 2 | जबलपुर- गोंदिया आमान परिवर्तन (300 कि.मी.) | 2,005 |
| 3 | छिंदवाड़ा -नागपुर आमान परिवर्तन (150 कि.मी.) | 1,512 |
| 4 | पनवेल-पेन दोहरीकरण (35 कि.मी.) | 263 |
| 5 | पेन- रोहा दोहरीकरण (40 कि.मी.) | 330 |
| 6 | उधना-जलगांव दोहरीकरण (307 कि.मी.) | 2,448 |
| 7 | मुदखेड़-परभणी दोहरीकरण (81 कि.मी.) | 673 |
| 8 | भुसावल-जलगांव तीसरी लाइन (24 कि.मी.) | 325 |
| 9 | जलगांव-भुसावल चौथी लाइन (24 कि.मी.) | 261 |
| 10 | दौंड-गुलबर्गा दोहरीकरण (225 कि.मी.) | 3,182 |

महाराष्ट्र राज्य में रेल अवसंरचनाओं को और बेहतर बनाने के लिए निम्नानुसार कार्य शुरू किए गए हैं:-

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | लागत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | अहिल्यानगर (अहमदनगर)-बीड-परली वैजनाथ नई लाइन (261 कि.मी.) | 4,957 |
| 2 | बारामती-लोनंद नई लाइन (64 कि.मी.) | 1,844 |
| 3 | वर्धा-नांदेड़ नई लाइन (284 कि.मी.) | 3,445 |
| 4 | इंदौर- मनमाड नई लाइन (360 कि.मी.) | 18,529 |
| 5 | वडसा-गढ़चिरौली नई लाइन (52 कि.मी.) | 1,886 |
| 6 | जालना-जलगाँव नई लाइन (174 कि.मी.) | 5,804 |
| 7 | दौंड-मनमाड दोहरीकरण (236 कि.मी.) | 3,037 |
| 8 | कल्याण-कसारा तीसरी लाइन (68 कि.मी.) | 1,433 |
| 9 | वर्धा -नागपुर तीसरी लाइन (76 कि.मी.) | 698 |
| 10 | वर्धा-बल्लारशाह तीसरी लाइन (132 कि.मी.) | 1,385 |
| 11 | इटारसी -नागपुर तीसरी लाइन (280 कि.मी.) | 2,450 |
| 12 | राजनांदगांव -नागपुर तीसरी लाइन (228 कि.मी.) | 3,545 |
| 13 | वर्धा-नागपुर चौथी लाइन (79 कि.मी.) | 1,137 |
| 14 | जलगांव-मनमाड चौथी लाइन (160 कि.मी.) | 2,574 |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 कि.मी.) | 3,285 |
| 16 | सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद नई लाइन (95 कि.मी.) | 2,933 |
| 17 | पनवेल-चौक दोहरी लाइन (17 कि.मी.) | 491 |
| 18 | वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन (135 कि.मी.) | 2,226 |
| 19 | इटारसी -नागपुर चौथी लाइन (297 कि.मी.) | 5,010 |
| 20 | वर्धा-भुसावल तीसरी और चौथी लाइन (314 कि.मी.) | 9,197 |
| 21 | आसनगांव-कसारा चौथी लाइन (35 कि.मी.) | 794 |
| 22 | बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी लाइन (32 कि.मी.) | 1,324 |
| 23 | गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन (84 कि.मी.) | 2,223 |
| 24 | गोंदिया-बल्हारशाह दोहरीकरण (240 कि.मी.) | 4,819 |

महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी आई है। अभी 100% भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। पुलों, जलवाही सेतु आदि के निर्माण कार्य शुरू किए जा चुके हैं।

पश्चिमी समर्पित माल गलियारा भी महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। पश्चिमी समर्पित माल गलियारे की कुल मार्ग लंबाई का लगभग 12% भाग अर्थात लगभग 178 किलोमीटर मार्ग महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में न्यू घोलवड़ से न्यू वैतरना तक इस परियोजना के 76 किलोमीटर को पहले ही कमीशन कर दिया गया है। शेष कार्यों को शुरू किया गया है। जेएनपीटी से पश्चिमी डीएफसी की संपर्कता के परिणामस्वरूप पत्तन से दिल्ली एनसीआर तक कार्गो और कंटेनर यातायात की सम्हलाई क्षमता बढ़ेगी।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले कुल 8,615 कि.मी. लंबाई के 98 सर्वेक्षण कार्य (29 नई लाइन, 2 आमान परिवर्तन और 67 दोहरीकरण) स्वीकृत कर दिए गए हैं।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के बाद, परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदन यथा नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चूंकि परियोजनाओं की स्वीकृति सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए सटीक समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

रेल परियोजना/ओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भूमि अधिग्रहण
- वानिकी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण

- **विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ**
- **क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति**
- **परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।**

**किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति अनेक मापदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**

- **प्रत्याशित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता**
- **परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया गया आरंभिक और अंतिम स्थान रेल-संपर्क**
- **अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराना**
- **संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन**
- **राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा की गईं मांगें**
- **रेलवे की परिचालनिक आवश्यकताएँ**
- **सामाजिक-आर्थिक महत्व**
- **धन की समग्र उपलब्धता**

**भारतीय रेल के पास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सुस्थापित तंत्र है जिसमें उनकी समीक्षा, निरीक्षण, कार्यों की गुणवत्ता की जांच और लेखापरीक्षा शामिल हैं। विभिन्न संहिताओं और नियमावली में निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं का पालन करते हुए कार्य किए जाते हैं। समय-समय पर मंडल रेल प्रंबधक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सी, महाप्रबंधकों, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों आदि सहित विभिन्न स्तरों पर प्रगति समीक्षा/निरीक्षण आदि किए जाते हैं और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।**

*****